राजनैतिक दलों के दान/अंशदान के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (**FAQs**)

- राजनैतिक दलों को मिलने वाले दान/अंशदान की परिभाषा क्या है?

  किसी व्यक्ति, कंपनी चुनावी ट्रस्ट और यूनियन/संघ द्वारा राजनैतिक दलों को दी गई रू0 20 हज़ार अथवा उससे ज़्यादा की राशि को दान/अंशदान कहा जाता है। दान दाताओं का विवरण जैसे की नाम, पता, पैन नम्बर, भुगतान की विधि और दिंनाक राजनैतिक दलों द्वारा दान रिपोर्ट के रूप में भारत चुनाव आयोग के समक्ष दायर किया जाता है। दानदाताओं द्वारा दान, नकद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट, और इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण के रूप में दिया जाता है। राजनैतिक दलों को चैक या डिमांड ड्राफ्ट के विवरण उपलब्ध करना चाहिए।

- राजनैतिक दलों को कितनी बार दान/अंशदान रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए?

  भारत चुनाव आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित 29 सी जनप्रतिनिधि कानून की धारा के तहत राजनैतिक दलों को रू0 20 हज़ार से ज़्यादा का दान देने वाले दानदाताओं के विवरण की अंशदान रिपोर्ट, (ECI) को वार्षिक रूप से 24 ए फार्म में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि राजनैतिक दल यह वार्षिक अंशदान रिपोर्ट प्रस्तुत नही करते हैं तब ऐसे दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 29 सी के तहत कर में छूट नही मिल पायगी।

- क्या राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत की गई दान/अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध है?

  हाँ, राजनैतिक दलों द्वारा दान/अंशदान रिपोर्ट ई0सी0आई0 के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और (ECI) द्वारा उनकी वेबसाइट (http://eci.nic.in) पर जनसाधारण हेतु अपलोड की जाती है। प्रस्तुत की गई यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के आधार पर अपलोड की जाती है। दानदाताओं और उनके द्वारा दी गई अंशदान राशि के विवरण को जनता यहां से प्राप्त कर सकती है।

- दान/अंशदान रिपोर्ट को सार्वजनिक बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है?

  दान/अंशदान रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का उद्देश्य राजनैतिक प्रणाली में पारदर्शिता और राजनैतिक दलों में जवाबदेही बढ़ाना है। दान/अंशदान रिपोर्ट कंपनियों और उद्योगों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाली विशाल धनराशि को उजागर करती है।

- किसी कंपनी या व्यक्तिगत दान/अंशदान की क्या कुछ सीमा निर्धारित होती है?

  कंपनी अधिनियम 293 ए की धारा के अनुसार, कंपनियो द्वारा दिया गया दान/अंशदान उनके पिछले 3 वर्षो के लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए परन्तु किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दान दिये जाने की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नही है।

- क्या विदेशों में पंजीकृत कंपनियां भारतीय राजनैतिक दलों के लिए अंशदान कर सकती है?

  फोरन कन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के अनुसार कोई भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भारत से बाहर पंजीकृत किसी भी कंपनी से दान प्राप्त नही कर सकता जब तक वह सैक्शन 3 एण्ड 4 ऑफ फोरन कन्ट्रीब्यूशन (रैगुलेशन) एक्ट (FCRA), 1976 के तहत अधिकृत ना हो। राजनैतिक दलों को किसी भी ''विदेशी कंपनी या भारत में कोई भी कंपनी जो विदेशी कंपनी के नियन्त्रण में होती है'' से दान प्राप्त करने की अनुमति नही है जब तक कि सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाईरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) से कोई विशेष अनुमति प्राप्त ना की गई हो।

- क्या अन्य संगठन/कंपनिया राजनैतिक दलों के लिए अंशदान नही कर सकती?

  सरकारी संगठन और कंपनी राजनैतिक दलों को दान/अंशदान नही कर सकते। उसी प्रकार वह कंपनीया जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कम के लिए उपलब्ध रही है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी राजनैतिक दल अथवा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को दान/अंशदान नही कर सकती।